न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 60 / 2015

कर्मजीत कौर पत्नी मनोहर सिंह जाति जट सिख निवासी नारायणगढ हाल निवासी मकान न. 624, होमलैण्ड सिटी, श्रीगंगानगर

प्रार्थीया

बनाम

1 नायब सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी प्रतापपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गुरदेव कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी प्रतापपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 बलदेव सिंह पुत्र दलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी प्रतापपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (तर्क)

4 जसविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी प्रतापपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 कुलविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी प्रतापपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 स्टेट ऑफ राजस्थान , जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 श्री कुन्दनलाल चुग अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 4, 5

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के नाम चक 28 पी टी पी खाता संख्या 7/49 प.न. 78/152 मु.न. 42 कि.न., 29,12,19,20,21,22 की कुल 1.771 है. आराजी दर्ज कागजात है। प्रार्थीया के उक्त रकबा के लिये कोई भी रास्ता स्वीकृत नही किया हुआ है। प्रार्थीया के रकबा के उत्तर में स्थित मुरब्बा नम्बर 38 के कि.न. 1, 10, 11, 20,21 , में सरकारी सरकारी रासता गुजरता है जो मुरब्बा न. 42 के कि.न. 5 तकआता है मु.न. 42 के कि.न. 1 ता 5 मेंसे सरकारी खाला गुरजता है प्रार्थीया को अपने रकबा मु.न. 42 में आने जाने के लिये मु.न. 42 के कि.न. 3, 4, 5 में से 1–1 बिस्वा रासता की आवश्यकता है , यही रासता सबसे नजदीकी और सुविधाजनक है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीया के पास अपने रकबा में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ता के अभाव में प्रार्थीया को अपनी भूमि खुद काश्त करने में भारी बाधा पैदा हो रही है। क्योंकि रास्ता न होने के कारण प्रार्थीया अपनी आराजी मु.न. 42 में किसी भी कृषि यन्त्र को नही ले जा सकती एव आज के आधूनिक समय में कृषि संयंत्रो के बिना खेती करना सम्भव नही है जिस कारण प्रार्थीया को भारी आर्थिक क्षति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

हो रही है। अतः प्रार्थीया मु.न. 42 के कि.न. अपने रकबा में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के मु.न. 42 के कि.न. 3, 4, 5 प्रत्येक में से प.न. लाई सेचल रहे 2–2 बिसवा खाला की जगह को छोड़ कर आगामी 1–1 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को इस रास्ता की भूमि की ऐवज में डी एल सी दर से सशि मुआवजे के रूप में देने को तैयार एव तत्पर है तथा तकनीकी दृष्टि से यही एकमात्र रास्ता प्रार्थीया के लिये उपयुक्त है जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि मे आ जा कर कृषि कार्य कर सकती है। वगैरा–वगैरा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि चक 28 पी टी पी के मु.न. 42 में आने जाने हेतु मुरब्बा नं. 42 के कि.न. 3, 4, 5 प्रत्येक में से पत्थर लाईन पर चल रहे 2–2 बिस्वा खाला की जगह को छोड़ कर प्रतयेक किला में आगामी 1–1 बिस्वा रास्ता यानि 8.25 फुट चौड़ाई में स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या1 व2 की तलबी हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की मृत्यू हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 का नाम तर्क किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपतियां पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया चक 28 पी टी पी के मु.न. 42 के कि.न. 3 ता 5 में 1–1 बिस्वा रास्ता की मांग कर रही है जबकि कि.न. 1 ता 5 में खाला चल रहा है। प्रार्थीया मु.न. 38 के कि.न. 21 से मु.न. 39 के कि.न. 23 ता25 में से अपने खेत में आ जा सकती है खाला व रास्ता दोनों एक मुरब्बा में नही हो सकते है।प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया है कि यह रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक है धारा 251 ए आर.टी.ए. में रास्ता दिलवाये जाने का प्रावधान है यह प्रावधान नही है कि प्रार्थीया जो रास्ता चाहे वही रासता दिलवाया जावे। इस प्रकार प्रार्थीया के पास अन्य रास्ता का विकल्प है। तो वह प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता की मांग नही कर सकती। अतः प्रारम्भिक आपतियां पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। रिपोर्ट मौका प्राप्त हुयी ।

प्रारम्भिक आपत्तियों पर सुना गया एव प्रारम्भिक आपत्तियों को अस्वीकार किया गया, एव वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश न कर बहस किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थी ने रास्ता के बदले जमीन दिये जाने का निवेदन किया एव रास्ता 12 फुट चौड़ाई में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी में आने जाने के लिये मु.नं. 42 कि.न .3, 4, 5 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है एव इस सम्बध में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में हवाला दिया गया है व अप्रार्थीगण ने दौराने बहस रासता के बदले आराजी की मांग की है, प्रार्थीया के हक हिस्सा की किला विशेष आराजी अप्रार्थीगण के किला विशेष आराजी के चिपते है एव प्रार्थीया के रास्ता की मांग 251 ए के प्रावधानों के अनूसार है प्रार्थीया को रास्ता की अत्यंतिक आवश्यकता है एव वैकल्पिक मार्ग का अभाव है इस प्रकार प्रार्थीया ने अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों व बहस के आधार पर साबित किया है व मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 28 पी टी पी पन. 78/152 मु.न. 42 कि.न. 3, 4, 5 प्रत्येक किला में खाला के साथ साथ 1½–1½ बिस्वा यानि 0.019 है. –0.019 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है, एंव रास्ता की ऐवज में अप्रार्थीगण के हक हिस्सा के मु. न. 42 कि.न. 8,13 के चिपते हुये प्रार्थीया के नाम दर्ज प.न. 78/152 मु.न. 42 के कि. न. 9, 12 प्रत्येक किला में से 0.028है.–0.028है. कुल 0.056 है. आराजी अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 के नाम ब.हि.ब दर्ज की जावे। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं रास्ता की ऐवज में अप्रार्थीगण को दी गयी आराजी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 8.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: